सं0सं0–9/आ0–02–05/2022 508(9) 4/7/22

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 विजय कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, जहानाबाद** के पदस्थापन काल में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डा0 सिन्हा** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के के नियम–43(बी0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के अधीन **डा0 (श्रीमती) उषा किरण वर्मा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डा0 सिन्हा** से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/6/22

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 9/आ0–02–05/2022 (स्वा0) 509(9) **/, पटना, दिनांक :** 4/7/22

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **डा0 (श्रीमती) उषा किरण वर्मा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

27/6/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 9/आ0–02–05/2022 (स्वा0) 508(9) **/, पटना, दिनांक** 4/7/22

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 9/आ0–02–05/2022 (स्वा0) 508(9) **/, पटना, दिनांक** 4/7/22

प्रतिलिपिः– डा0 विजय कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक–31.01.2021) वर्त्तमान पता– बालाजी रेस्ट हाउस, कोर्ट एरिया, जहानाबाद–804432, मो0–8083241322 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

[नियम–17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

प्रपत्र–'क'

1. सरकारी सेवक का नाम – डा0 विजय कुमार सिन्हा
2. पदनाम – सिविल सर्जन,
3. संवर्ग – बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग
4. पदस्थापन स्थान – सिविल सर्जन, जहानाबाद
5. वेतनमान –
6. जन्मतिथि – 11.01.1954
7. सेवानिवृति की तिथि – 31.01.2021
8. आरोप/लांछन का अभिकथन – पदीय कार्य के निर्वहन हेतु अवैध पारितोषिक प्राप्त करने का आरोप।

आरोप–पत्र

आरोप सं0	आरोप/लांछन का अभिकथन
1.	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना के पत्रांक– 625/अप0शा0 दिनांक–04.03.2022 द्वारा सूचित है कि आपके द्वारा डॉ0 मो0 इरफानुज्जोहा, चिकित्सा पदाधिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नामित करने हेतु श्री अनिल कुमार सिंह, लिपिक के माध्यम से 30,000/– रिश्वत की मॉग की गयी। निगरानी धावादल द्वारा श्री सिंह को दिनांक– 20.06.2020 को रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया गया। फलतः आपके एवं श्री सिंह के विरूद्ध वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण के रूप से रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में निगरानी थाना काण्ड सं0–011/2020 दिनांक–19.06.2020 धारा 7(a)/7(c)/12 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 एवं 120 बी0 भा0द0वि0 के अधीन प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
2.	डॉ0 मो0 इरफानुज्जोहा द्वारा दिनांक– 05.05.2020 को स्वयं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों में वरीय उल्लेख करते हुए उक्त संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नामित करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया बिहार के पत्रांक–157 दिनांक–18.05.2020 द्वारा वरीयता की जॉच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, परन्तु आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध नही करायी गयी।
3.	वरीयता के आधार पर डॉ0 शमीम अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, वरीयता क्रमांक– 9411 को दिनांक–03.04.2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मनोनित किया गया। पुनः दिनांक–22.06.2019 को डॉ0 राव वीरेन्द्र सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, वरीयता क्रमांक– (नवनियुक्त) को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया, जो बिहार कोषागार सेवा संहिता, 2011 के भाग–1 के नियम–84 के निहित प्रावधान के प्रतिकूल है। आपका यह आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है तथा इससे आपकी

	सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होता है।
4.	आपका उपर्युक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन का द्योतक है। इसके लिए आप वृहत दण्ड के भागी प्रतीत होते है।

27/6/22

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

साक्ष्य तालिकाः–

1. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–625 दिनांक–04.03.2022
2. क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया बिहार के पत्रांक–157 दिनांक–18.05.2020

साक्षियों की सुचीः–

1. डा0 इरफानुज्जोहा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद।
2. श्री सुनिल कुमार भट्ट, लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद।
3. श्री अनिल कुमार सिंह, लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद।
4. निगरानी धावादल के सदस्य।